# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

---

प्र.सं. 35/2019
जीसीएमएस : 2019/00196

1. दलीप कुमार पुत्र लूना राम जाति बिश्नोई निवासी नानूवाला तहसील रायसिंहनगर
2. सतपाल पुत्र लूना राम जाति बिश्नोई निवासी नानूवाला तहसील रायसिंहनगर
3. शान्ति देवी पत्नी हनुमान जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी(नानूवाला) तहसील रायसिंहनगर
4. रामेश्वर पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी(नानूवाला) तहसील रायसिंहनगर
5. जयपाल पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी(नानूवाला) तहसील रायसिंहनगर
6. द्रोपदी पत्नी जयपाल जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी(नानूवाला) तहसील रायसिंहनगर
7. कमला पत्नी रामेश्वर जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी(नानूवाला) तहसील रायसिंहनगर

—:प्रार्थीगण

**बनाम**

1. बुधराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी तहसील रायसिंहनगर
2. मंगला राम पुत्र रामचन्द जाति बिश्नेाई निवासी 55 एनपी तहसील रायसिंहनगर
3. धर्मपाल पुत्र कालूराम................मृतक
   - 3/1. सिलोचना पत्नी धर्मपाल जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी(नानूवाला) तहसील रायसिंहनगर
   - 3/2. पर्मिला
   - 3/3. रवीना
   - 3/4. प्रवीण कुमार

   (3/2 से 3/4) पिसरान धर्मपाल जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी(नानूवाला) तहसील रायसिंहनगर
4. बख्तावरी देवी पत्नी लूणा राम.........................मृतक(वारिस अप्रार्थी 5 ता 11)
5. कृष्णलाल
6. बुधराम
7. दलीप कुमार
8. सतपाल
9. गोपीचन्द
10. जगदीश
11. सावित्री

    (5 से 11) पिसरान लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी तहसील रायसिंहनगर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—:अप्रार्थीगण

**अन्तर्गत धारा 251क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :—
1. श्री राजूराम ओझा, वकील प्रार्थीगण
2. श्री रविन्द्र बिश्नोई, वकील अप्रार्थी सं. 1
3. श्री अजय धारणियां, वकील अप्रार्थी सं. 2, 3/1 से 3/4

**—: निर्णय :—**

दिनांक : 25.08.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी सं. 1–2 की जोत चक 36 एनपी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 43 मु.नं. 18 प.नं. 207/330 में 1.519है. नहरी व प्रार्थी सं. 3 ता 7 की खाता सं. 109 मु.नं. 1,3,7,32,33 कुल 8.817है. नहरी बारानी खातेदारी भूमि में पंहुचने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी सं. 1–2 की भूमि मु.नं. 19 प.नं. 209/330 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा दक्षिण पासा गै.मु. खाला के साथ साथ कुल 10 बिस्वा व अप्रार्थी सं. 3 व 4 ता 11 की भूमि मु.नं. 33 के कि.नं. 5–6 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा पूर्वी पासा कुल 4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को [illegible] गया। अप्रार्थी सं. 5 ता 11 के विरूद्ध दिनांक 23.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ला[illegible]यी। [illegible]र्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने कहीं भी यह [illegible] नहीं किया कि उन्हें अपनी जोत में पहुंचने के लिए उक्त चाहे गये मार्ग की आवश्यकता आत[illegible] आवश्यकता है और यह [illegible] केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं। तथा यह भी जाहिर नहीं किया हैं कि प्रार्थीगण को [illegible] जोत में पंहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। प्रार्थना पत्र खा[illegible] किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी[illegible] अपनी जोत में पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि मु.नं. 18 व मु.नं. 33 में स्थित हैं। दोनों एक दूसरे से चिपती हुई हैं। उक्त दोनों मुरब्बों में पहुंचने हेतु प्रार्थी सं. 1 व 2 के पास व प्रार्थी सं. 3 ता 7 के पास मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 5/2 की भूमि जो मु.नं. 33 की भूमि के सह

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.08 17:45:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

काश्तकार की है, में से मार्ग उपलब्ध चालू हैं। प्रार्थीगण उक्त मार्ग से पहुचकर काश्त करते हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थी सं. 1–2 है ने अप्रार्थी सं. 7–8 के रूप में भी स्वयं को ही पक्षकार संयोजित कर रखा हैं। अतः प्रार्थना पत्र Mis-joinder of party के आधार पर ही खारिज योग्य हैं। प्रार्थी सं. 3 ता 7 की भूमि अप्रार्थी सं. 1 की भूमि से दूर व भिन्न दिशा में स्थित हैं। तथा उक्त भूमि में आवागमन हेतु कत्तई मु.नं. 19 से मार्ग की आवश्यकता नहीं हैं। प्रार्थीगण की अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में से मार्ग स्वीकृति की इस्तदुआ सर्वथा आधारहीन हैं। मु.नं. 33 के दो तरफ रास्ता लगता हैं। पश्चिम में आम रास्ता जो नानूवाला से चक 36 एनपी(55 एनपी) को जाता है तथा दक्षिण दिशा में बगीचा माईनर नहर हैं जिसके किनारे आम रास्ता हैं जो बल्लेवाला से नानूवाली कोठी तक जाता हैं। प्रार्थीगण की भूमि मु.नं. 33 में हैं। आम रासता मात्र 2 बीघा तथा नहरी रास्ता मात्र 1–1/2 बीघा दूरी पर हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि में आवागमन हेतु मु.नं. 33 के कि.नं. 9–10 के दक्षिण दिशा में विकल्प में कि.नं. 16 व 25 में मार्ग स्वीकृत करवा सकते हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2, 3/1 ता 3/4 ने जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या आधारों पर पेश किया गया हैं। प्रार्थीगण के मु.नं. 33 के किनं. 21 ता 25 में से एनपी माईनर के साथ साथ रास्ता चालू हैं। प्रार्थीगण को मु.नं. 33 के कि.नं. 5,6,15,16,25 में से रास्ता की मांग करने चाहिए थी। ताकि मु.नं. 18,19,33,34 केमें इस रास्ता से आवागमन हो सके। यदि अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता स्वीकार कर दिया जाए तो बाद में चिपते मु.नं. 18, 33, 34 के लिए अलग से रास्ता की जरूरत होगी। अप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो ना काबिल चलने के हैं। यदि फिर भी न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा वांछित किलाजात में रास्ता स्वीकृत करते हैं तो उस रास्ता में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि मु.नं. 33 के कि.नं. 6,7,8 में भूमि दिलाने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2021/546 दिनांक 06.04.2021 के अनुसार चक 36 एनपी प.न. 208/331 मु.नं. 33 के कि0नं0 5/3,6/1,7,8 में 0.785है. बारानी भूमि कृष्णलाल–गोपीचन्द जगदीश दलीपकुमार बुधराम सतपाल सावित्री देवी पि. लूनाराम बहिब जाति बिश्नोई साकिन देह के नाम से खातेदारी दर्ज हे। व प.नं. 207/330 मु.नं. 18 कि.नं. 10/1,11,19,20,21/1,22/1,23 कुल 1.519है. नहरी भूमि दलीपकुमार सतपाल पि. लूणाराम जाति बिश्नोई साकिन नानूवाला के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। चक 36 एनपी प.नं. 208/331 मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 4 सालम 5/1 में 0.177है. कुल 1.189है. नहरी रकबा प्रवीनकुमार पुत्र धर्मपाल जाति बिश्नोई सा. देह के नाम व प.नं. 208/330 मु.नं. 19 का कि.नं. 5/1,5/2,6/1,6/2,7,8/1,13,14,15/1, 15/2,16/1,16/2,17,18,23/1,23/2,24/1,24/2,25/1,25/2 कुल 3.200है. नहरी मय खाला मंगलाराम पुत्र रामचन्द जाति बिश्नोई सा. 55 एनपी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थीगण के मु.नं. 18 का 1.519है. नहरी रकबा को स्वीकृतशुदा रातस्ता नहीं हैं। परन्तु मु.नं. 19 के कि.नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा खाला होने के कारण मु.नं. 19 कि.नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं हैं। मौका पर समझाईश के बाद काश्तकार पवीनकुमार पुत्र धर्मपाल ने अने रकबा मु.नं. 33 के कि.नं. 1/0.025,2/0.025,3/0.026,4/0.026,5/0.023 कुल 0.125है. में रास्ता स्वीकृत करने तथा इसकी एवज में मु.नं. 33 के कि.न. 5/0.025, 6/0.028,7/0.036,8/0.036कुल 0.125है. बारानी रकबा दिया जाने की सहमति दी हैं। 36 एनपी मु.नं. 19 के खातेदार मंगलाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी ने अपने रकबा 36 एनपी मु.नं. 19 कि.नं. 25 में पूर्वी दक्षिणी कोणे में 0.002है. रास्ता स्वीकृत किये जाने की सहमति दी हैं। इसकी एवज में राशि/रकबा या अन्य किसी प्रतिफल के देना स्वीकार किया हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रवीन कुमार द्वारा 36 एनपी मु.नं. 33 के कि.नं. 1/0.025,2/0.025,/0.026,4/0.026,5/0.023 कुल 0.125है. रकबा रास्ता तथा मंगलाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी द्वारा मु.नं. 19 के कि.नं. 25 में 0.002है रास्ता पूर्वी दक्षिणी कोणे में स्वीकृत किये जाने की सहमति दी हैं। तथा प्रवीन कुमार के 0.125है. भूमि रास्ता में दिये गये रकबा के बदले में कृष्णलाल, गोपीचन्द, जगदीश, दलीपकुमार, बुधराम, सतपाल पि. लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी के रकबा चक 36. एनपी मु.नं. 33 के कि.नं. 5/0.025, 6/0.028,7/0.036,8/0.036 कुल 0.125है. बारानी रकबा चिपता हुआ देने की सहमति हुई हैं। इसी अनुसार सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित होगा।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान की सहमति आधार पर राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करने एवं मुआवजा दिया जानें हेतु निवेदन किया।

बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि चक 36 एनपी मु.नं. 19 प.नं. 209/330 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा एवं मु.नं. 33 के कि.नं. 5–6 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट [illegible] अनुसार मु.नं. 19 के कि.नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा खाला होने के कारण मु.नं. 19 कि.नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं हैं। जिस हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पक्षकारान को मौका पर समझाईश अनुसार पक्षकारान की सहमति से वैकल्पिक मार्ग स्वीकृत करने हेतु अनुशंषा की गई है। रिपोर्ट के संलग्न ब्यान मंगलाराम के अवलोकन अनुसार मंगलाराम अपनी रकबा मु.नं. 19 के कि.नं. 25 के पूर्वी दक्षिणी कोणा रास्ता हेतु दिए गये 0.002है. रकबा की एवज में बदले में कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं। किसी प्रकार की राशि या रकबा प्राप्त नहीं करना चाहते। तथा प्रवीन कुमार द्वारा रास्ता स्वीकृति की एवज में भूमि के बदले भूमि दिलाने हेतु निवेदन किया हैं। जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की हैं। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान में रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.08 17:45:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

रास्ता की एवंज में भूमि के बदले भूमि दिए जाने पर सहमति हो गयी है। तथा सहमति अनुसार रास्ता स्वीकार करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय की मत में न्यायोचित हैं।

अतः उक्त विवेचन एवं पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर चक 36 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 33 के कि.नं. 1/0.025,2/0.025,3/0.026,4/0.026,5/0.023 कुल 0.125है. उत्तरी पासा एवं मु.नं. 19 के कि.नं. 25 में 0.002है. दक्षिणी पूर्वी कोना में गैर.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार मु.नं. 19 के कि.नं. 25 में 0.002है. रास्ता बिना प्रतिफल के स्वीकृत किया जाता हैं। तथा मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत 0.125है. रास्ता के मुआवजा के एवज में कृष्णलाल, गोपीचन्द, जगदीश, दलीपकुमार, बुधराम, सतपाल पि. लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी 36 एनपी के रकबा चक 36 एनपी मु.नं. 33 की भूमि में से कि.नं. 5/0.025, 6/0.028,7/0.036,8/0.036 कुल 0.125है. बारानी भूमि अप्रार्थी प्रवीन कुमार के रकबा के चिपती हुई प्रार्थीगण के खाता में से कम करते हुए अप्रार्थी प्रवीन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति बिश्नोई सा. देह के नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर उक्तानुसार स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अर्पिता सोनी )
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.08 17:45:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner